



Knowledgeable Research

ISSN 2583-6633

Vol.02 No.01 August 2023

<http://www.knowledgeableresearch.com/>

महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक में चित्रित लोकप्रशासन

डॉ. समय सिंह मीना

सहायक आचार्य संस्कृत

राजकीय कला महाविद्यालय कोटा (राज.)

ईमेल: ssmeena80@gmail.com

शोध-सार:-साहित्यकार अपने साहित्य में अपनी समाज विषयक अवधारणाओं-चाहे वह राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक किसी भी प्रकार की हो, को अनायास ही स्पष्ट कर देता है। एक सृजनकार की सृजनशीलता का आधार अथवा उत्प्रेरक तत्त्व भी समाज ही होता है। महाकवि कालिदास लोक संपृक्ति से जुड़े हुए रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में चाहे वह महाकाव्य हो, खण्डकाव्य हो अथवा नाटक सभी में समकालीन समाज के प्रत्येक पक्ष पर यथोचित प्रकाश डाला गया है। मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम् तथा अभिज्ञानशाकुन्तलम् ये तीन उनकी लोक प्रसिद्ध नाट्य रचनाएँ मानी जाती हैं। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक के कथ्य के अनुसार राजा दुष्यन्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। राजतांत्रिक व्यवस्था थी। दुष्यन्त प्रजाहितैषी और लोकरक्षा में तत्पर सम्राट् थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भाँति किया करते थे। उनके समय राज्य के सातों अंग कुशलतपूर्वक अपने-अपने दायित्वों का अहर्निश पालन किया करते थे। यद्यपि राजा सर्वोच्च होता था फिर भी प्रजा को उससे से प्रश्न करने का अधिकार था। पारदर्शितापूर्ण न्याय व्यवस्था थी। राजा सर्वोच्च धर्माधिकारी होता था। दण्डव्यवस्था बहुत कठोर थी। अपराध की प्रकृति के अनुसार प्राणदण्ड, अर्थदण्ड, प्रताड़ना आदि से दण्डित किया जाता था। सन्तानहीन की सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार होता था। सेनापति के नेतृत्व में सेना के सभी अंग नियमित रूप से अभ्यास करती रहती थी। आमदनी का छठा भाग प्रजा से कर रूप में लिया जाता था। तपस्वीजन और धर्मस्थलियाँ करमुक्त होते थे। कुछ प्रशासनिक अधिकारी मदिरापान और उत्कोच लेने के आदि थे। इस प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तलम् में वर्णित समाज का ढाँचा पुरातन राजव्यवस्था पर आधारित था जो धार्मिक मर्यादाओं पर टिका हुआ था।

संकेताक्षर:- अभिज्ञानशाकुन्तलम्, उत्कोच, दण्डव्यवस्था, प्रजाहितैषी, विष्णुधर्मसूत्र, मृगया, चतुरंगिनी, आर्त्तत्राणाय, गुरुलाघवं, राजपुरोहित, षष्ठांशवृत्तेरपि, वारिपथोपजीवी।

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः।

यथाऽस्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥

काव्यवस्तु अथवा समूची काव्यकृति सर्वात्मना कवि की इच्छा के अनुरूप ही तदभिमत रसात्ता को धारण करती है। अतएव जिस प्रकार काव्य, कवि की अभिरूचि के अनुकूल रस को धारण करता है, उसी प्रकार तदभिमत लोकचित्रण, तदभिमत जीवन-दर्शन, तदभिमत लोकसंवेदना-यहाँ तक कि उसकी अभिरूचि के ही अनुकूल काव्य का विषय बनने वाले सम्पूर्ण संविधानक को धारण करता है। 1 - ध्वनिकार

आनन्दवर्धन का यह कथन स्पष्ट करता है कि साहित्य पूर्णतया लेखकीय प्रतिभा और वैदुष्य पर आश्रित होता है। चूंकि “साहित्य समाज का दर्पण है” इस लोक प्रसिद्ध सूक्ति के अनुसार साहित्य रूपी दर्पण में समाज प्रतिबिम्बित होता है। एक साहित्यकार समाज को जैसा महसूस करता है वही उसके साहित्य में प्रतिफलित होता है। समाज के प्रति संवेदनशीलता ही साहित्य का मूल होता है। साहित्य और समाज की अन्योन्याश्रितता की भाँति व्यक्ति और समाज भी परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। “व्यक्ति से समाज का अस्तित्व है और समाज में ही व्यक्ति की सार्थकता है।”² यह कथन अरस्तू के उस कथन को ही व्याख्यायित करता दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि- “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।” व्यक्ति और समाज के इस वास्तविक सम्बन्ध को एक साहित्यकार ही ठीक प्रकार से विवेचित और विश्लेषित कर सकता है। प्रत्येक साहित्यकार अपने साहित्य में अपनी समाज विषयक अवधारणाओं-चाहे वह राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक किसी भी प्रकार की हो, को अनायास ही स्पष्ट कर देता है। एक सृजनकार की सृजनशीलता का आधार अथवा उत्प्रेरक तत्त्व भी समाज ही होता है। महाकवि कालिदास लोक संपृक्ति से जुड़े हुए रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में चाहे वह महाकाव्य हो, खण्डकाव्य हो अथवा नाटक सभी में समकालीन समाज के प्रत्येक पक्ष पर यथोचित प्रकाश डाला गया है। मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम् तथा अभिज्ञानशाकुन्तलम् ये तीन उनकी लोक प्रसिद्ध नाट्य रचनाएँ मानी जाती हैं। यद्यपि कालिदास का स्थिति काल विवादास्पद रहा है फिर भी ई. पू. प्रथम शती के लगभग उनका समय माना जाता है। शृंगवंशीय नृपति अग्निमित्र तथा मालविका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर ‘मालविकाग्निमित्रम्’ की, राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी रूप वैदिक आख्यान का विषय बनाते हुए ‘विक्रमोर्वशीयम्’ की तथा महाभारत और पद्मपुराण में उल्लिखित राजा दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा को आधार बनाते हुए विश्वविख्यात नाटक ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ की रचना की गई है। महाकवि कालिदास की लोक प्रसिद्ध नाट्यकृति ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ में चित्रित लोक प्रशासन हमारा विवेच्य विषय है, अतः तदनुकूल ही यहाँ उनके द्वारा चित्रित लोक प्रशासन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।

भारतीय साहित्य में ‘समाज’ अर्थ में ‘लोक’ शब्द का भी व्यवहार किया जाता रहा है। ‘लोक्यतेऽसौ, लोक्यतेऽर्ध’ इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न ‘लोक’ शब्द व्यापक अर्थ में ‘दुनिया’, ‘संसार’ इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होता है परन्तु ‘समुदाय’, ‘समूह’, ‘क्षेत्र’, ‘इलाका’, ‘प्रान्त’, ‘सामान्य जीवन’ इत्यादि अर्थों में भी साहित्य में इसका प्रयोग बहुत मिलता है।³ ‘लोक’ व्यापक अर्थ संवाही शब्द है। ‘लोक’ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के ‘लोक दर्शने’ धातु से भावार्थक ‘घृ’ प्रत्यय जुड़कर निष्पन्न होता है। तदनुसार लोक शब्द दृश्य और द्रष्टा दोनों का ही वाचक है। कोश ग्रन्थों में इस शब्द के द्विविध अर्थ मिलते हैं, प्रथम ‘इहलोक परलोक आदि’ स्थानों के लिए तथा द्वितीय ‘जन सामान्य’ अर्थ के लिए। हलायुध कोश⁴ में संसार, सप्तलोक, प्रजा, जन अर्थ में तथा वृहद् हिन्दी कोश⁵ में भुवन, संसार, विश्व का एक भाग, पृथ्वी, मानव जाति, समाज, प्रजा, प्रान्त, निवास, स्थान, दिशा, सांसारिक व्यवहार, दृश्य और यश अर्थों के लिए लोक शब्द का व्यवहार है।

किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन (अंकुशपदपेजतंजपवद) कहा जा सकता है। ‘प्रशासन’ मूल रूप से एक संस्कृत शब्द है। यह ‘प्र’ उपसर्ग ‘शास्’ धातु से ‘ल्युट्’ प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है।⁶ जिसका अर्थ है महान या उत्कृष्ट तरीके से शासन करना। आजकल, शासन का अर्थ ‘सरकार’ समझा जाता है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना है, मार्गदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना। सामान्य भाषा में व्यवस्था को प्रशासन कहते हैं। यह अध्ययन के क्षेत्र में विज्ञान और अभ्यास के क्षेत्र में एक कला की तरह है। प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का अनुवाद है, जो लैटिन शब्द ‘एड’ और ‘मिनिस्ट्रियल’ से लिया गया है,

जिसका अर्थ संयुक्त रूप से व्यक्तियों से संबंधित मामलों को व्यवस्थित करना है। प्रशासन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें आमजन को नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण के संयुक्त प्रयास प्रदान किए जाते हैं।

महाकवि कालिदास के समय प्रशासन का स्वरूप राजतन्त्र था। राजा के द्वारा ही प्रजा अर्थात् लोक पर शासन किया जाता था। तत्कालीन राजाओं का यह प्रधान कर्तव्य यही होता था कि उनके कुशल प्रशासन के परिणामस्वरूप प्रजा सुखी, खुशहाल और समृद्ध हो तथा राज्य के सातों अंग (स्वामी, मंत्री, कोष, दुर्ग, राष्ट्र, बल एवं सुहृत्) कुशल और सुसम्पन्न रहे। ये सातों अंग ही राज्य की प्रकृति भी कहलाते थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि विभिन्न राजशास्त्र प्रणेताओं ने सप्तांग सम्बन्धी मान्यता वर्णित की गई है। विष्णुधर्मसूत्र में कहा है- 'स्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्डराष्ट्रमित्राणि प्रकृतयः॥'7 कालिदास ने अपनी नाट्य रचनाओं में विभिन्न कथोपकथनों, प्रसंगों व घटनाओं के माध्यम से तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात् उपर्युक्त सातों अंगों पर समुचित प्रकाश डाला है। तत्कालीन राजा मृगया अर्थात् शिकार करने के अभ्यस्त हुआ करते थे ताकि वर्तमान सैन्य अभ्यास की भाँति वे अपने शस्त्र-अस्त्रों का पर्याप्त अभ्यास कर सकें और स्वयं व अपनी सेना को चुस्त-दुरुस्त रख सकें। अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक का प्रारम्भ ही रथारूढ़ राजा दुष्यन्त के मृग का पीछा करते हुए दृश्य के साथ होता है-

कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्यकार्मुके।

मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्॥8

अर्थात् सारथी राजा से कहता है कि मैं इस कृष्णसार मृग और धनुष चढ़ाए हुए आप पर दृष्टिपात करके मृग का पीछा करते हुए साक्षात् मानो शिव को देख रहा हूँ।

राजा दुष्यन्त का सेनापति राजा से कहता है कि शास्त्रों में मनस्वी जनों द्वारा मृगया के अनेक दोष बतलाये हैं परन्तु आपके लिए तो वे गुण ही बन गये हैं। क्योंकि-

अनवरतधनुर्ज्यास्फालनक्रूरवर्ष्मा

रविकिरणसहिष्णुः स्वेदलेशैरभिन्नः।

अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यं

गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्त्ति॥9

इसी तरह मृगया के अभ्यास से हमारा शरीर लघु और फर्तीला होता है, प्राणियों की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मनोस्थिति को भी समझना आ जाता है, चंचल लक्ष्य पर भी निशाना लगाने की कुशलता विकसित हो जाती है।10

उस समय राज्य का भूभाग बहुत बड़ा होने के कारण सैन्य व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होती थी। सेनापति सेना का प्रमुख होता था। चतुरंगिनी सेना होती थी। सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार, पदाति आदि भाग हुआ करते थे। धनुष-बाण, तलवार, कटार, भाले आदि प्रमुख अस्त्र-शस्त्र हुआ करते थे जैसाकि अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक के विभिन्न कथोपकथनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है।

तत्कालीन राजा न्यायोचित विधि से शासन चलाते थे। वे स्वयं को स्वामी न समझकर प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया करते थे। इसलिए प्रजा भी निर्भीकता के साथ अपने-अपने धर्म का पालन किया करती थी। यदि प्रजा को कोई बात अनुचित लगती तो वह

खुलकर राजा के सामने अपना विरोध दर्ज कराती थी और राजा भी उस पर विचार करता था। जब रथारूढ़ राजा दुष्यन्त एक मृग का शिकार करने के लिए उसका पीछा करते हैं तब ऋषि कण्व के आश्रमवासी तपस्वी जन इसका विरोध करते हैं और मृग को नहीं मारने के लिए कहते हैं-भो भो राजन्! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः।11

तदाशु कृतसन्धानं प्रतिसंहर सायकम्।

आर्त्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि।12

तत्कालीन प्रशासन का स्वरूप राजतंत्र था। राजनीतिक स्थिति बहुत दृढ़ थी। वंशानुगत शासन व्यवस्था थी परन्तु राजा का प्रायः राजोचित गुणों से युक्त होना आवश्यक था। राजा न केवल शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता था अपितु वह प्रजाहितैषी, न्यायप्रिय, सदाचारी, विनम्रशील, शस्त्र-अस्त्र में पारंगत, विविध शास्त्रों, विद्याओं और कलाओं में दक्ष आदि गुणों से युक्त होता था। अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक का नायक राजा दुष्यन्त भी इसी प्रकार का व्यक्तित्व था। वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ और अत्यन्त पराक्रमी था। देवराज इन्द्र भी देवासुर संग्राम में उनकी सहायता लेते हैं। मातलि कहते हैं-

सख्यस्तु स किल शतक्रतोरवध्य

स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता।

उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति-

स्तनैशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः।13

राजा दुष्यन्त विविध कलाओं और विद्याओं में पारंगत थे। वे ज्योतिष विद्या और व्यवहारिक ज्ञान के ज्ञाता थे। राजा दुष्यन्त जब ऋषि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। तब वह कहता है कि-

शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्या

अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र।14

इसी भाँति जब राजा दुष्यन्त भगवान मारीच ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तब वे सिंहशावक के साथ खेलते हुए बालक के हाथ को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह बालक चक्रवर्ति सम्राट् के लक्षणों से युक्त है-‘कथं चक्रवर्तिलक्षणमप्यनेन धार्यते?’15

राजा दुष्यन्त कुशल चित्रकार और संगीत के ज्ञाता थे। वे शकुन्तला के परित्याग से पीड़ित हो और उसके साथ बिताए पलों को स्मरण करते हुए शकुन्तला और उसकी सखियों का चित्र बनाते हैं। वह दासी से कहते हैं-‘चतुरिके! अर्द्धलिखितेद्विनोदस्थानमस्माभिः, तद्द्रच्छ वर्तिकास्तावदानया’16 साथ ही राजा स्वयं प्रजा के सेवक की भाँति कार्य करता था। वह हमेशा प्रजा के कल्याणकारी कार्यों में तत्पर रहता था। वह अपनी सन्तान की भाँति प्रजा पालन करता था। प्रजा पर आये संकटों और विघ्न-बाधाओं को दूर करना उसका कर्तव्य होता था। कञ्चुकी कहता है कि-

प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा

निषेवते श्रान्तमना विविक्तम्।17

इसी प्रकार जब ऋषि कण्व की अनुपस्थिति में राक्षसों से वैदिक क्रियाओं की रक्षार्थ तपस्वीजन निवेदन करते हैं तब वह अपनी माता के द्वारा किये जा रहे पुत्रपिण्डपालन नाम उपवास की समाप्ति के अवसर पर स्वयं के स्थान पर विदूषक को भेज देते हैं और स्वयं आश्रम की रक्षार्थ रुक जाते हैं। वह कहते हैं-‘माधव्य! त्वमपि स्वनियोगमनुतिष्ठ, अहमपि तपोवनरक्षार्थं तत्रैव गच्छामि।’ 18

राजा अपने मन्त्रिगण और राजपुरोहित के परामर्श के अनुसार तथा नीतिपरक धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार शासन करता था। ऋषि कण्व जब शकुन्तला को उसके पति की राजधानी भेजते हैं तब राजा दुष्यन्त दुर्वासा ऋषि के शापवश उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं तब ऋषिजन और स्वयं शकुन्तला उन्हें खरी-खोटी सुनाते हैं। तब राजा इस विषय में अपने राजपुरोहित से मार्गदर्शन मांगते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं। वे कहते हैं-‘भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं पृच्छामि।.....अनुशास्तु मां गुरुः।’ 19

मूढः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशये

दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्पर्शांसुलः॥20

अर्थात् हे गुरुदेव! या तो मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही है अथवा यह झूठ बोल रही है, इस प्रकार के संदेह में मैं स्त्री परित्यागी होऊँ या परस्त्री के स्पर्श से दूषित होऊँ।

इस पर राजपुरोहित के कहे अनुसार राजा अनुसरण करते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन्! यह श्रीमती सन्तान उत्पन्न होने तक मेरे घर में रहेगी क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार आपको सर्वप्रथम चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। अतः यदि श्रीमती की सन्तान उन लक्षणों से युक्त होगी तो इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। 21

तत्कालीन दण्ड व्यवस्था भी बहुत कठोर थी। अपराधी को उसके कृत्य की प्रकृति के अनुसार नाना-नाना प्रकार के दण्ड की व्यवस्था थी। दण्डविधान मनु और आपस्तम्ब के अनुसार थे। अपराध स्वीकार नहीं करने पर मारने-पीटने का प्रावधान था। रत्नों आदि की चोरी के लिए तो मृत्युदण्ड का भी प्रावधान था। जब राजा दुष्यन्त की नामांकित अंगूठी को एक धीवर बाजार में बेचने जाता है तो राजा के आरक्षक उसे पकड़ लेते हैं और उसे राजा के समक्ष पेश करने ले जाते हैं तब सूचक धीवर से कहते हैं कि- स्फुरतो मे अग्रहस्तौ इमं ग्रन्थिच्छेदकं व्यापादयितुम्। 22

उस समय राजकीय व्यवस्था में आरक्षियों और प्रशासन से जुड़े लोगों में मदिरापान करने और आमजन से संभवतः उत्कोच (घूस) लेने का भी प्रचलन था। जब राजा दुष्यन्त धीवर से प्राप्त अपनी अंगूठी को देखते हैं तो उन्हें शकुन्तला विषयक समस्त वृत्तान्त स्मरण हो आता है और वे धीवर को अंगूठी के बराबर पारितोषिक देते हैं। जब यह सूचना और पारितोषिक राजश्याल धीवर को देते हैं तो वह धीवर उनसे कहता है कि हुजुर! आपने मेरे प्राण बचाये हैं इसलिए इस पारितोषिक की आधी कीमत आप लोगों के शराब के निमित्त होनी चाहिए-‘भट्टारक! इतः अर्द्धं युष्माकमपि सुरामूल्यं भवेत्।’ 23

तत्कालीन कर व्यवस्था राजस्व का प्रधान स्रोत हुआ करती थी। प्रायः आमदनी का छठा भाग प्रजा से कर के रूप में लिया जाता था। अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक में अभी-अभी धर्मासन से उठे हुए राजा दुष्यन्त को कण्व शिष्यों के आगमन की सूचना देने जाते समय कञ्चुकी मन ही मन सोचता है कि- ‘अथवा कुतो विश्रामो लोकपालानाम्। तथाहि-

भानुः सकृद्युक्ततुरङ्ग एव

रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति।

शेषः सदैवाहितभूमिभारः

षष्ठंशवृत्तेरपि धर्म एषः॥24

तपस्वियों से कर नहीं लिया जाता था। राजा दुष्यन्त पुनः शकुन्तला से मिलने की इच्छा से कण्व आश्रम में जाना चाहते हैं परन्तु किस बहाने से जाये, यह बात अपने मित्र विदूषक से पूछते हैं तब माधव्य कहता है कि आप राजा हैं, आपको किस बहाने की आवश्यकता है। कह देना कि तपस्वी लोग नीवार का छठा भाग मुझे लाकर दें। इस पर राजा विदूषक से कहते हैं कि-‘मूर्ख! अन्यमेव भागधेयमेते तपस्विनो मे निर्वपन्ति, यो रत्नराशीनपि विहायाभिनन्दते।’ पश्य-

यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तद्धनम्।

तपःषड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः॥25

उस समय यदि कोई निःसन्तान मर जाता था तो उसका धन राजकीय कोष में समाहित कर लिया जाता था। विधवा को पति की सम्पत्ति पर अधिकार नहीं था। मनु, आपस्तम्ब और वशिष्ठ मुनियों के अनुसार ही यह व्यवस्था की गई थी। अभिज्ञानशाकुन्तलम् में प्रतिहारी वेत्रवति अमात्य के पत्र को लेकर राजा दुष्यन्त के पास आती है। पत्र में लिखा होता है कि-‘धनवृद्धिर्नाम वणिक् वारिपथोपजीवी नौव्यसनेन विपन्नः, स चानपत्यः, तस्य चानेककोटिसंख्यं वसु, तदिदानीं राजस्वतामापद्यते इति श्रुत्वा देवः प्रमाणम् इति।’26

परन्तु दुष्यन्त बहुत ही न्यायप्रिय और विवेकशील राजा थे। वे प्रतिहारी वेत्रवति के माध्यम से अमात्य को संदेश देते हैं कि पता करो कि धनवृद्धि की कोई पत्नी गर्भवती तो नहीं हैं-‘कष्टं खल्वनपत्यता। वेत्रवति! महाधनतया बहुपत्नीकेनानेन भवितव्यम्, तदन्विष्यतां यदि काचिदापन्नसत्त्वास्य भार्या स्यात्।’27 इस वृत्तान्त से द्योतित होता है कि राजा की अनुपस्थिति में प्रधान अमात्य (मंत्री) ही प्रशासन के नियमित कार्य राजा के मार्गदर्शन अनुसार किया करता था। राजा हमेशा प्रजाहित में ही तत्पर रहता था।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक के कथ्य के अनुसार राजा दुष्यन्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। राजतांत्रिक व्यवस्था थी। दुष्यन्त प्रजाहितैषी और लोकरक्षा में तत्पर सम्राट् थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भाँति किया करते थे। उनके समय राज्य के सातों अंग कुशलतपूर्वक अपने-अपने दायित्वों का अहर्निश पालन किया करते थे। यद्यपि राजा सर्वोच्च होता था फिर भी प्रजा को उससे से प्रश्न करने का अधिकार था। पारदर्शितापूर्ण न्याय व्यवस्था थी। राजा सर्वोच्च धर्माधिकारी होता था। दण्डव्यवस्था बहुत कठोर थी। अपराध की प्रकृति के अनुसार प्राणदण्ड, अर्थदण्ड, प्रताड़ना आदि से दण्डित किया जाता था। सन्तानहीन की सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार होता था। सेनापति के नेतृत्व में सेना के सभी अंग नियमित रूप से अभ्यास करती रहती थी। आमदनी का छठा भाग प्रजा से कर रूप में लिया जाता था। तपस्वीजन और धर्मस्थलियाँ करमुक्त होते थे। कुछ प्रशासनिक अधिकारी मदिरापान और उत्कोच लेने के आदि थे। इस प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तलम् में वर्णित समाज का ढाँचा पुरातन राजव्यवस्था पर आधारित था जो धार्मिक मर्यादाओं पर टिका हुआ था। अतः वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों को भी तत्कालीन राजधर्म से प्रेरणा लेते हुए अपने नामानुरूप लोकसेवक ही बनकर रहना चाहिए। जैसाकि अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक का भरत वाक्य कहता है-

प्रवर्त्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः।28

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. दृक्, दृग्-भारती, इलाहाबाद, अंक-8, पृ. 106
2. महेन्द्र भटनागर, स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी साहित्य, पृ. 17
3. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश, अशोक प्रकाशन, दिल्ली, सं. 2006,
पृ. 848
4. अभिधानरत्नमाला, हलायुध संपा. जयशंकर जोशी, सरस्वती भवन, वाराणसी प्रकाशन
ब्यूरो, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, प्र.सं. 1879, पृ. 58
5. वृहद् हिन्दी कोश, सं. मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, कालिका प्रसाद, ज्ञानमण्डल लिमिटेड,
बनारस, 2013, पृ. 997
6. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश, पृ. 653
7. विष्णुधर्मसूत्र-3/33
8. महाकवि कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 1/6, व्या. डॉ. सुधाकर मालवीय, कृष्णदास
अकादमी, वाराणसी, सं. 2002
9. वही/2/4
10. वही/2/5
11. वही/2/पृ. सं. 27
12. वही/2/11
13. वही/6/35
14. वही/1/16
15. वही/7/पृ.सं. 558
16. वही/6/पृ. सं. 475

17. वही/5/3
18. वही/2/पृ.सं. 151
19. वही/5/पृ.सं. 394
20. वही/5/32
21. वही/5/पृ. सं. 395
22. वही/5/पृ. सं. 411
23. वही/5/415
24. वही/5/4
25. वही/2/14
26. वही/6/पृ.सं. 493
27. वही/6/पृ.सं. 493
28. वही/7/35